निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1931 (शo)

(सं0 पटना 280) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2009

सं0 एम.4 -11/09 - 5188 वि0(2)

वित्त विभाग

————————

संकल्प

15 जून 2009

विषय :- राज्य सरकार में *ई-क्रय (e-Procurement) प्रणाली* लागू करने के सम्बन्ध में ।

वस्तुओं एवं सेवाओं का सरकारी क्रय खुली निविदा के माध्यम से करना सामान्यत: अनिवार्य है । इसका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से मानक गुणवता की वस्तु अथवा सेवा औचित्यपूर्ण दर पर क्रय कर value for money सुनिश्चित किया जाना है । वर्तमान में पारम्परिक निविदा प्रणाली के अंतर्गत सरकारी क्रय के लिए निविदा जमा करना, निविदा का मूल्यांकन करना आदि का कार्य manually किया जाता है। निविदा में भाग लेने, निविदा अभिलेख निर्गत करने एवं चयन के संबंध में पक्षपात, धमकी, मूल्यसंघ (cartel) गठन आदि कतिपय शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । इसके अतिरिक्त निविदा निष्पादन में विलम्ब , अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की संभावना, पारदर्शिता का अभाव आदि की समस्या रहती है और सरकार की छवि धूमिल होने की आशंका बनी रहती है ।

2. इन समस्याओं के निदान के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में एवं भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ई-क्रय प्रणाली अपनायी जा रही है। राष्ट्रीय *ई-शासन योजना* (National e-governance Plan) के अंतर्गत भी *ई-क्रय* एक mission mode project है ।

3. *ई-क्रय प्रणाली* के लाभों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य में भी *ई-क्रय प्रणाली* अपनायी जाय ।

4. आरम्भ में *ई-क्रय प्रणाली* को कुछ विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण निगम, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग, सूचना प्रावैधिकी, बेलट्रॉन में 25 लाख से अधिक लागत के मामलों में पायलट के तौर पर शुरू किया जायेगा । इसके पश्चात अन्य विभागों में इसे लागू किया जायेगा ।

5. *ई-क्रय प्रणाली* से धीरे-धीरे सभी विभाग आच्छादित होंगे और आरंभ में उच्च स्तरीय समन्वय एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी । अतः इसके समुचित अनुश्रवण एवं विस्तृत दिशानिर्देशों के लिये एक उच्च स्तरीय ई-क्रय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति निम्न रूप से गठित की जाती है :-

(1) मुख्य सचिव, बिहार	-	अध्यक्ष
(2) प्रधान सचिव, वित्त विभाग	-	उपाध्यक्ष
(3) प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	-	सदस्य
(4) प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य
(5) प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वा0 अभि0 विभाग	-	सदस्य
(6) प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
(7) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
(8) प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
(9) प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग	-	सदस्य-सचिव

6. इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं बेलट्रॉन की होगी । वे *ई-क्रय प्रणाली* के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन, कार्यान्वयन का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा कर इसको लागू करने में विभागों को तकनीकी सहयोग देंगे ।

7. ई-क्रय प्रणाली के अन्तर्गत सेवा शुल्क इस प्रकार होगा :-

70 लाख रूपये लागत तक की निविदा-1000/- रूपये प्रति निविदादाता

70 लाख से 3 करोड़ तक के लागत की निविदा-5000/- रूपये प्रति निविदादाता

3 करोड़ से अधिक लागत की निविदा-15000/- रूपये प्रति निविदादाता

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाये ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन कुमार,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 280-571+250-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in